

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ
(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 3476 / 14-1 दिनांक, मेरठ 12 फरवरी, 2021.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) दिल्ली-लखनऊ मार्ग के कि०मी० 34.00 से कि०मी० 49.80 तक कुल 15.80 कि०मी० एवं 0.7900 हे० में सड़क के किनारे पर भूमिगत 12 ईच तथा 125 एमएम (5) व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०ई०पी० गैस पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एमएम (2 ईच व्यास की डक्ट बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या-FP/UP/PIPE LINE/53780/2020.

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ का पत्रांक 2940/14-1 दिनांक 02.03.2021।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ के संदर्भित पत्र से विषयक प्रस्ताव संस्तुति सहित प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए इस कार्यालय की संस्तुति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

पत्रांक 3476 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार एवं उ०प्र० शासन से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक सम्बन्धित क्षेत्र में किसी भी दशा में कार्य न होने दिया जाये। प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी करते रहे।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

भाग -III

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) दिल्ली-लखनऊ मार्ग के कि०मी० 34.00 से कि०मी० 49.80 तक कुल 15.80 कि०मी० एवं 0.7900 हे० में सड़क के किनारे पर भूमिगत 12 ईंच तथा 125 एमएम (5) व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०ई०पी० गैस पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एमएम (2 ईंच व्यास की डक्ट बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/PIPE LINE/53780/2020.

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो निरीक्षक नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत हैं
16.	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 12-03-2021

हस्ताक्षर

स्थान :- मेरठ

नाम और पदनाम -

सरकारी मोहर-

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

E/Recommandaton

Page no. 100

जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) (दिल्ली-लखनऊ रोड) के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 49.80 तक कुल लम्बाई 15.80 कि.मी. एवं 0.7900 हे० तक सड़क के किनारे पर एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" तथा 125 एमएम (5") व्यास की कार्बन स्टील तथा एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन एवं इसके साथ 50 एमएम (2") व्यास की डक्ट बिछाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53780/2020, dated 05/11/2020

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

C.S. 02/03/21
(दीप्ता आग्नी)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नई दिल्ली

AJAI TYAGI
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAIRAVAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022

प्रति हस्ताक्षरित

वन संरक्षक
प्रदेश वृत्त, मेरठ।